


न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान शिवराज बनाम उषा

मा संख्या/वर्ष टी0आई0 65/2024

दिनांक या आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश यादव एवं अप्रार्थी संख्या 01, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री जी0एल0 बाना एवं अप्रार्थी संख्या 02, 05, 08 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश शर्मा तथा अप्रार्थी संख्या 06, 07 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सैनी हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम निवारु पटवार हल्का निवारु, भू.अ.नि.क्षेत्र झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 323 रकबा 0.0253 है0, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5302 है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.5564 है0, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.0253 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने तथा प्लोटिंग कर बेचान करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02, 05 लगायत 08 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब नहीं देकर, सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र झूठे, बनावटी मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी, अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं हैं एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।</p>	<p>30 01 2024</p> 


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

8014125

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम निवारु पटवार हल्का निवारु, भू.अ.नि.क्षेत्र झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 323 रकबा 0.0253 है०, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.5302 है०, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.5564 है०, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.0253 है० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 8014125 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।


जयपुर नगर प्रथम